33226/2022

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3
संख्या– [illegible]
देहरादून : दिनांक [illegible] अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O) के Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) के अनुच्छेद 5.3 के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तम्बाकू उद्योग से संबंधित व्यवसायी/उद्यमियों के हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से राज्य एवं जनपद स्तर पर प्राधिकृत निगरानी समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है:–

राज्य स्तरीय निगरानी समिति:–

क्र.सं.	विभाग/अभिकरण	समिति में पदाधिकारी
1	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2	सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
3	सचिव, न्याय (विधि) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4	सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5	सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
6	सचिव, पूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
7	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।	सदस्य
8	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।	सदस्य
9	महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।	सदस्य
10	महानिदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।	सदस्य
11	अपर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड।	सदस्य
12	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।	सदस्य सचिव
13	राज्य नोडल अधिकारी (एन0टी0सी0पी0), उत्तराखण्ड।	संयोजक
14	नामित स्वयं सेवी संस्था।	सदस्य

जिला स्तरीय निगरानी समिति:–

क्र.सं.	विभाग/अभिकरण	समिति में पदाधिकारी
1	जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति।	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी/सचिव, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति।	सदस्य सचिव
3	जिला अभियोजन अधिकारी।	सदस्य
4	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी।	संयोजक
6	मुख्य शिक्षा अधिकारी।	सदस्य
7	निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।	सदस्य
8	जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी।	सदस्य
9	जिला उद्योग अधिकारी।	सदस्य
10	जिला श्रम अधिकारी।	सदस्य
11	जिला पूर्ति अधिकारी।	सदस्य
12	जिला नोडल अधिकारी (एन0टी0सी0पी0)।	सदस्य
13	नामित स्वयं सेवी संस्था।	सदस्य

02– समिति यह सुनिश्चित करेगी कि तम्बाकू उद्योग अथवा उसके प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने में संलग्न अनुलग्नक–'क' में दिये दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

NCD (706) Nodal officer (NCD)

Signed by Radhika (राधिका झा)
Date: 05-05-2022 17:58:02

9-5-22

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख सचिव / सचिव, गृह विभाग / श्रम विभाग / वित्त विभाग / पुलिस विभाग / शहरी विकास विभाग / परिवहन विभाग / विद्यालयी शिक्षा / उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / पंचायतीराज विभाग / आबकारी विभाग / शिक्षा विभाग / ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समिति के सदस्यगण।
6. महानिदेशक, चिकित्सा–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jaswinder Kaur
Date: 05-05-2022 17:56:36

(जसविन्दर कौर)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 33226/22 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में उल्लिखित अनुलग्न 'क'

विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O) के Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) के अनुच्छेद 5.3 की आलोक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से राज्य एवं जनपद स्तर पर प्राधिकृत निगरानी समिति के लिए दिशा निर्देश :–

तम्बाकू उद्योग के हित एवं लोक स्वास्थ्य नीतियों के बीच मौलिक टकराव रहता है। तम्बाकू उद्योग अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लोक हित नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा की जाती है। जिस हेतु तम्बाकू उद्योग को किसी प्रकार की तरजीह राज्य सरकार के तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के प्रतिकूल होगी। अतः इस मामले में सुस्पष्ट दिशा–निर्देश का रहना राज्य के लिए अत्यावश्यक है।

सामान्य दिशा–निर्देश :–

1. लोक सेवक तम्बाकू उद्योग का कोई प्रतिनिधि किसी लोक सेवक के साथ बैठक करना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में तम्बाकू उद्योग में किसी प्रकार का संपर्क अथवा पत्राचार करने के पूर्व यह मामला लिखित रूप में प्राधिकृत समिति के संज्ञान में लाया जायेगा।
2. तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधि को प्रस्तावित बैठक की कार्यसूची लिखित रूप में स्पष्ट करनी होगी।
3. प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष प्रस्तावित कार्यसूची की समीक्षोपरान्त निर्णय लेंगे कि प्रतिनिधि के साथ प्रस्तावित बैठक की जाये अथवा नहीं और सहमति की अवस्था में प्रस्तावित कार्यसूची को अंतिम रूप देंगे।
4. तम्बाकू उद्योग के द्वारा, प्राधिकृत समिति के सचिव को, प्रस्तावित बैठक से पूर्व उसमें भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों का नाम एवं पदनाम उपलब्ध कराना होगा।
5. बैठक में विधि विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वे बैठक के दौरान समिति के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देंगे।
6. बैठक के पूर्व, प्राधिकृत समिति द्वारा तम्बाकू उद्योग को लिखित रूप से यह स्पष्ट कर देना होगा कि बैठक में किसी प्रकार की साझेदारी अथवा पारस्परिक सहयोग अन्तर्निहित नहीं है एवं बैठक की प्रकृति को उनके द्वारा दुष्प्रचारित नहीं किया जायेगा।
7. बैठक सरकारी विभाग के परिसर में ही संचालित होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बैठक के दौरान लिया गया फोटोग्राफ मात्र दस्तावेजी साक्ष्य (documentation) के उद्देश्य ही लिया जाय, तम्बाकू उद्योग के जनसम्पर्क गतिविधि में सहयोग हेतु नहीं।
8. सभी सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों को तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधियों से दूरभाष, ई–मेल इत्यादि के माध्यम से पारस्परिक संपर्क स्थापित करने से बचना चाहिए।

बैठक संचालित करने की प्रक्रिया :–

- बैठक संक्षिप्त होनी चाहिए और मात्र प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित कार्यसूची के अनुसार ही होगी।
- बैठक को आवश्यकतानुसार किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्राधिकृत समिति के पास होगा।
- बैठक की एक विस्तृत कार्यवाही तैयार की जानी चाहिए। साक्ष्य हेतु बैठक की वॉयस/वीडियो रेकार्डिंग भी करायी जा सकती है।
- बैठक के दौरान उठाये गये किसी प्रश्न का उत्तर यदि बाद में दिया जाना हो तो उसे आवश्यक विचार–विमर्श/ छानबीन/अध्ययन के उपरान्त पत्राचार के माध्यम से दिया जाये।
- बैठक की सूचना यथोचित ढंग से प्रचारित की जायेगी।

लोक सेवकों के लिए आचार संहिता :–

1– सभी लोक सेवक, जिनकी तम्बाकू नियंत्रण सम्बन्धी लोक स्वास्थ्य नीतियों के निर्धारण अथवा कार्यान्वयन में भूमिका है वे :–

अ. समिति के समक्ष निम्नलिखित घोषणा करेंगे:

क. तम्बाकू उद्योग के साथ पूर्ववर्ती अथवा वर्तमान क्रियाकलाप के बारे में, चाहे वह लाभकारी हो या नहीं

ख. सेवा त्यागने के उपरान्त तम्बाकू उद्योग से सम्बन्धित किसी पेशागत क्रियाकलाप, चाहे वह लाभकारी हो या नहीं, से सम्बद्ध होने का कोई इरादा तो नहीं है।

Scanned with CamScanner

ब. वे पदग्रहण से 30 दिनों के अन्दर, तम्बाकू उद्योग में अपने पद को त्याग देंगे और तम्बाकू उद्योग में अपने निवेश अथवा हित का 60 दिनों के अन्दर परित्याग कर देंगे। इस नियम के प्रयोजनार्थ, तम्बाकू उद्योग में हित से मतलब व्यक्तिगत, वित्तीय या अन्य हित शामिल है, उदाहरणार्थ:

- क. तम्बाकू उद्योग में कोई वर्तमान स्वामित्व या सीधा निवेश होगा।
- ख. तम्बाकू उद्योग में निदेशक परिषद का कोई सदस्य होना निगम का कोई पदाधिकारी होना या साझेदार होगा।
- ग. तम्बाकू उद्योग से कोई अंशदान प्राप्त करना।

परन्तु उक्त सूची तक सीमित नहीं रहेगा।

स. वे अपने, परिवारों, संबन्धियों, मित्रों अथवा अपने से संबद्ध किन्ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए तम्बाकू उद्योग से कोई अंशदान न तो मांगेगा न ही प्राप्त करेंगे। अंशदानों में भुगतान, उपहार, सेवाएं, नकद या वस्तु रिसर्च हेतु निधि प्राप्त करना, वित्तीय सहायता, पॉलिसी ड्राफ्ट एवं विधिक परामर्श शामिल होंगे परन्तु इस तक सीमित नहीं रहेगा।

2– इस बैठक के फलस्वरूप तम्बाकू उद्योग के साथ लोक सेवकों/संबन्धित विभागों के मध्य वास्तविक या संभावित साझेदारी अथवा सहयोग की दुर्व्याख्या उत्पन्न नहीं हो। यदि ऐसा होता है तो उसे सार्वजनिक रूप से सुधारा जाये।

3–यदि किसी लोक सेवक को तम्बाकू उद्योग के किसी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुभूति होती है अथवा बिना पूर्व सूचना के तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा उससे संपर्क किया गया है तो वह इस संदर्भ में शीघ्र अतिशीघ्र लिखित रूप में प्राधिकृत समिति को इसकी सूचना देंगे।

***

Scanned with CamScanner